

theMilan Charter

Hindi Version

मिलान चार्टर

" वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सेहतमंद और खुशहाल जिन्दगी का हक सुरक्षित कर पाना २१वीं सदी के विकास की एक बड़ी चुनौती है। पर्यावरणीय संवहनीयता और समता के जटिल रिश्तों को समझना आनेवाली पीढ़ियों की मानवीय आजादी के विस्तार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। "

मानव विकास रिपोर्ट २०११

**हिंदी, कोरियाई, हिब्रू, जापानी, आधुनिक ग्रीक, फारसी, पोलिश, पुर्तगाली, रोमानियाई, जर्मन, तुर्की और वियतनामी में अनुवाद वेनिस के "का फोसकरी विश्वविद्यालय" द्वारा आयोजित किया गया है।*

हम, इस पृथ्वी के पुरुष व स्त्री नागरिक, अन्न के अधिकार के प्रति सटीक प्रतिबद्धताओं को बनाने के लिए मिलान चार्टर नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं। हम मानते हैं कि अन्न का अधिकार एक मूलभूत मानवी अधिकार समझा जाना चाहिए।

हम मानते हैं कि पर्याप्त स्वस्थ भोजन, शुद्ध जल और ऊर्जा की उपलब्धता में कमी, मानवी गरिमा का उल्लंघन है।

हम मानते हैं कि यह महान आवाहन हमारे नागरिकों की समुदायिक प्रतिबद्धता एवं नागरिक संगठन, व्यापारी वर्ग, स्थानिक, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठानों के सहकार्य और सहायता से झेला जा सकता है ताकि अल्पपोषण, कुपोषण और अपव्यय के विरोध संघर्ष, प्राकृतिक संसाधनों के समान उपयोग में बढ़ाव और सशक्त एवं सुनिश्चित उत्पादन प्रतिक्रियाओं के हमारे सारे उद्देश्य सफल हों।

इस घोषणापत्र, मिलान चार्टर पर हस्ताक्षर कर, हम आजकल की पीढ़ी और आनेवाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए अन्न के अधिकार की रक्षा के कार्यों तथा विकल्पों को लागू

करने की ज़िम्मेदारी पर जोर देते हैं और आहार की सब तक समान पहुँच हो, इस मौलिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम राजनीतिक निर्णयों को बुलावा देने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं ।

हम मानते हैं कि:

- सभी को पर्याप्त,स्वस्थ,पौष्टिक एवं सुरक्षित भोजन प्राप्त होने का अधिकार है जो उनके आहार की ज़रूरतों को जीवनभर संतुष्ट कर सके और जिससे हर व्यक्ति आयुष्यभर कार्यक्षम रह पाए ।
- आहार का एक मजबूत सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व है और इसका राजनीतिक तथा आर्थिक दबाव के लिए एक उपकरण के रूप में कभी भी इस्तेमाल न किया जाए।
- कुशलता और समानता से धरती के संसाधन इस प्रकार नियंत्रित किए जाएँ ताकि उनका किसी प्रकार अपव्यय न हो और न ही किसी एक तबाहे के हित में औरों का अहित हो ।
- स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर हर व्यक्ति और आनेवाली पीढ़ियों का अधिकार हो जिससे वे शुद्ध उर्जा प्राप्त कर सकें ।
- नैसर्गिक संसाधनों पर विनियमित निवेश किया जाए ताकि स्थानीय आबादी उनका सुनिश्चित, संरक्षित और समान उपयोग कर सके ;
- जल संसाधनों का योग्य नियंत्रण,जो की जल,अन्न और उर्जा में समन्वय बनाए, अत्यंत आवश्यक है । अन्न के अधिकार की प्रत्याभूति के लिए जल का उचित प्रबंधन मौलिक है यानी ऐसा प्रबंध जो पानी, भोजन और उर्जा के बीच के सम्बंधों को ध्यान में रखे।
- कृषि न सिर्फ खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए मौलिक हो, लेकिन उसका योगदान क्षेत्र के पर्यावरण की रक्षा, जैव विविधता के संरक्षण और परिदृश्य को आकर्षित बनाने के लिए भी हो ।

हमें यह मंजूर नहीं है कि:

- व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर आधारित असमानता, अक्षमताएँ और मौके हैं ।
- लगभग 800 लाख लोग जीर्ण भूख से पीड़ित हैं, 200 करोड़ लोग कुपोषण का शिकार हैं और विटामिन एवं खनिज की कमियों से ग्रस्त हैं; 200 करोड़ लोग मोटापे का शिकार हैं; लगभग 160 लाख बच्चे कुपोषण और उससे जुड़े शारीरिक वृद्धि से वंचित हैं ।
- हर साल 130 करोड़ मे.टन मानव उपभोग के लिए उत्पादित अन्न, खाद्य वितरण की श्रंखला में नष्ट होता है ।
- हर साल पांच लाख हेक्टर, लगभग 13 लाख एकड़ जंगल नष्ट हो जाते हैं जो पर्यावरण की जैव विविधता एवं स्थानीय नागरिकों के लिए हानिकारक है और जलवायु पर भी इसका परिणाम अत्यंत गंभीर होता है ।

- समुद्री संसाधन उसकी क्षमता से 30 % ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है |व्यापारी तौर पर पकड़ी गई मछलियाँ अपनी प्रजनन शक्ति से 30% ज्यादा पकड़ी जा रहीं हैं |
- महिलाओं की मौलिक भूमिका और उनके योगदान को सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, खासकर खेती एवं बाल पोषण के क्षेत्र में |
- प्राकृतिक संसाधन, जिसमें भूमि शामिल है, का उपयोग स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं एवं उम्मीदों को नज़रंदाज़ करके इस्तेमाल किया जा सकता है |
- ऊर्जा की गरीबी आज भी मौजूद है, यानी अपर्याप्त उर्जा सेवा, जैसे बिजली या खाना पकाने के उचित उपकरण जो सस्ते भी हो और प्रदुषणहीन भी| सेहत के लिए हानिकारक न होनेवाले उपकरणों की कमी या सीमित उपलब्धिता है |

हम जानते हैं कि:

- मानवता की लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या और आनेवाली पीढ़ियों को पर्याप्त मात्र में, बिना पर्यावरण को बाधा पहुँचाए, प्राकृतिक संसाधनों को खूबी से इस्तेमाल करके, भोजन उपलब्ध करना सबसे बड़ी चुनौती है |
- भोजन प्रत्येक व्यक्ति की पहचान को परिभाषित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वह स्थानिकों की सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षमताएं दर्शाता है |
- समावेशी और भागीदारी की प्रक्रियाओं के माध्यम से मजबूत शहरीकरण के संदर्भों में, स्वस्थ और पर्याप्त भोजन की उपलब्धिता की शर्तों को बेहतर बनाने का बढ़ावा दिया जा सकता है | नए प्रौद्योगिक तरीकों के उपयोग से भी ये संभव हो सकता है|
- स्वस्थ जीवन शैली और जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए बचपन से ही सही आहार शिक्षा मौलिक है|
- पारंपरिक और आधुनिक उत्पादन विधियों का ज्ञान कृषि प्रणालियों की दक्षता के लिए आवश्यक है, पारिवारिक कृषि एवं औद्योगिक कृषि दोनों महत्वपूर्ण हैं |
- किसान, पशुपालक और मछुआरे हमारे पोषण तत्वों के लिए महत्वपूर्ण काम करते हैं; चाहे वे छोटे व्यापारी हों या बड़ी कम्पनियाँ, उनके काम के संदर्भ में समान अधिकार और समान कर्तव्यपालन निहित है |
- हम सब लोग एक दुसरे से परस्पर हैं| पृथ्वी की रक्षा करना, क्षेत्रों की सीमाओं एवं पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारी ज़िम्मेदारी है |
- पृथ्वी पर समन्वय और संतुलन रखने में समुद्र बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ ज़रूरी होती हैं| समग्र खुशहाली एक सशक्त समुद्री व जैविक प्राणाली पर निर्भर होती है जिससे करोड़ों लोगों को मछली खाद्य रूप में प्राप्त होती हैं और मछली कई लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पोषक तत्वों का एकमात्र स्रोत का प्रतिनिधित्व करती है | मछली पकड़ने के काम पर लाखों लोगों का जीवन निर्भर करता है |
- वैज्ञानिक अनुसंधान परंपराओं और नवाचारों के विकास के एकीकरण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है; उसका आवेदन पृथ्वी की जैव विविधता और पर्यावरण का सम्मान करते हुए, प्रगति के लिए अनमोल हैं |

- आहार सम्बंधित भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरण की संवहनीयता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, एक व्यवस्थित एवं प्रणालीगत दृष्टिकोण को अपनाना आवश्यक है। हम जानते हैं कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, न्याय पूर्ण, संवहनीयता पूर्ण दुनिया छोड़ने की ज़िम्मेदारी हम पर है।

चूँकि हम ये जान गए हैं कि हम आनेवाली पीढ़ियों के लिए एक सशक्त, उचित व चिरकाल चले ऐसी व्यवस्था के ज़िम्मेदार हैं, हम नागरिक निम्नलिखित बातों के लिए प्रतिबद्ध हैं:

- हम जागरूकता एवं ध्यान से भोजन ग्रहण करें | अन्न में कौन से तत्व शामिल हैं, यह कैसे प्राप्त होता है, कहाँ और कैसे इसका उत्पाद होता है यह जाने ताकि खाद्य सामग्री के मूल और उत्पादन की सूचना द्वारा हम ज़िम्मेदारी से सही पर्याय चुन सकें |
- जितना भोजन हम चाहते हैं उतना ही सीमित मात्रा में खराब होने से पहले सेवन करें, अधिक हो तो दान कर दें या इस प्रकार संरक्षित रखें कि वह नष्ट न हो |
- जल का किसी तरह रोज़ाना व्यवहार में या घरेलू व्यापार में या किसी उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय न हो |
- पर्यावरण को समझकर उसके सुरक्षित रखने हेतु हम आदर्शनीय व्यवहार करें। ज़िम्मेदारी से पुनरुपयोग, पुनरुत्पादन जैसी आदतों के माध्यम से खाद्य वस्तुओं का सदुपयोग करें |
- नई पीढ़ी के जागरूक विकास के लिए परिवार में आहार और पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा दें |
- पूर्ण जागरूकता के साथ सक्रिय रूप में उन्नत उपायों के माध्यम से हम विश्व में संवहनीयता के निर्माण में भाग लें | हमारे कार्य और क्षमता का रचनात्मक और उचित फल ज़रूर प्राप्त होगा |

एक समाज के नागरिक होने के नाते हम अपने आप को प्रतिबद्ध करते हैं कि:

- हम हमारी आवाज निर्णय लेनेवाले सभी स्तरों तक पहुँचाएँगे ताकि संवहनीय भविष्य की परियोजनाओं को उचित रूप से परिभाषित कर सकें |
- सार्वजनिक नीति के गठन की प्रक्रिया में एवं वाद-विवाद में, सामान्य जन साधारण से जुड़ी समस्याओं और सभ्य समाज की आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करेंगे |
- अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं और कार्यों के नेटवर्क का सुदृढीकरण और एकीकरण करेंगे ताकि वह एक महत्वपूर्ण सामूहिक संसाधन बने |
- न बिके हुए अन्न के दान सम्बंधित विभिन्न क़ायदे कानूनों के मुख्य एवं महत्वपूर्ण मुद्दों को पहचानकर उनकी निंदा करेंगे और उसके बाद सक्रिय रूप से अधिशेष सामग्री की वसूली और विभाजन का निरीक्षण करेंगे |

- उन सुरक्षा उपकरणों को बढ़ाव देंगे जो किसानों और मछुआरों की आय का समर्थन करें और उनकी उन्नत प्रगति को प्रत्साहित करे | संगठन और सहयोग के उपकरण को छोटे उत्पादकों के बीच भी मजबूत बनाएँगे |
- छोटे स्थानीय उत्पादकों को विकास का एक उन्नत एवं आधुनिक रूप मानकर बढ़ाव देंगे और उत्पादकों, उपभोक्ताओं, और निर्मिती क्षेत्र में प्रत्यक्ष संबंधों को प्रोत्साहित करेंगे |

व्यवसायों के रूप में, हम प्रतिबद्ध हैं :

- पर्यावरण एवं सामान्य मान्यताओं के मुद्देनाज़र ऐसे कामों को आधार दें जो उनकी निजी पूर्ति में योगदान दें व जिससे सभी कारीगरों की उम्मीदें पूरी हों |
- शोधकार्य में निवेश करें और उपलब्ध निष्कर्ष को साझा करें | जनता और सामूहिक हित को इस तरह बढ़ावा दें जिससे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच बिना विवाद के अनुसंधान के क्षेत्र में निवेश हो |
- खेती और पशु पालन व्यवसाय में विविधता लाएँ ताकि यह दोनों वृद्धिगत हों और साथ ही पर्यावरण सुरक्षित रहे |
- भंडारण और रसद में ऐसी सुधर हो जो उत्पादन श्रृंखला के सभी चरणों में संदूषण न करे | उत्पादन के हर प्रक्रिया की क्षमता में वृद्धि हो, उत्पादित माल सुरक्षित रहे, जल का अपव्यय कम हो और खाद्य पदार्थ दूषित होने से बचे रहें |
- सुरक्षित और स्वस्थ भोजन का उत्पादन और व्यवसायीकरण करें | उपभोक्ताओं को मूल पदार्थ के पोषक तत्वों से परिचित करें, परियावरण पर उसका असर क्या होगा और उससे जुड़े सामाजिक प्रभावों की जानकारी दें |
- उन नवाचारों को बढ़ावा दें जो उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थ के संरक्षण, गुणवत्ता और खाद्य की खपत के समय की सूचना दें |
- उत्पादन और वितरण की श्रृंखला में सहकार्य और मुलभुत करार बहुत कारगर होते हैं, विशेषतः किसानों, निर्माताओं और वितरकों की खाद्य श्रृंखला में मांग की पूर्वानुमानी संरचनात्मक व्यवस्था के लिए सहयोग के सकारात्मक योगदान को स्वीकार करें |
- नवीनतम उत्पाद प्रक्रियाओं और सेवाओं के माध्यम से एवं व्यवसाय के मूल्यों का पालन करते हुए, अपनी नैतिक सामाजिक ज़िम्मेदारी निभाते संवाहनीय विकास के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योगदान दें |

इस तरह हम इस पृथ्वी के नर नारी, नागरिक मिलान चार्टर पर हस्ताक्षर करके दृढ़ता से अंतरराष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं, और सरकारों को प्रतिबद्ध होने का यह अनुरोध करते हैं कि :

- अन्न का अधिकार और खाद्य संप्रभुता को सुनिश्चित और प्रभावी बनाने के लिए विनियामक उपायों को लागू करें जिससे यह अधिकार अबाधित रहे |

- स्थानीय लोगों के हितों को सुरक्षित रखते हुए खेती की भूमि के संरक्षण के पक्ष में कानून को मजबूत करें ताकि नैसर्गिक संसाधनों पर निवेश विनियमित एवं नियंत्रित हो |
- राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का प्रभावी एवं ठोस कार्यान्वयन सुनिश्चित हो | अंतरराष्ट्रीय मंचों में सरकारों के बीच पौष्टिक आहार के विषय को प्रोत्साहित करें और देश में दिए गए आश्वासनों का नियमित पालन हो | इसके अलावा विशेष अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोग बना रहे |
- भोजन की उपलब्धता की सीमा की विकृतियों को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय खुले व्यापार को, जो की अबाधित नियमों पर आधारित हो, बढ़ावा दें | एक ऐसी प्रणाली विकसित करें जो सक्षम, साझे एवं अबाधित नियमों पर आधारित हो, भेदभाव रहित हो और बेहतर वैश्विक खाद्य सुरक्षा की स्थिति स्थापित करें जिससे खाद्य आपूर्ति बनी रहे |
- आहार को एक सांस्कृतिक विरासत समझकर इसको जालसाजी और धोखाधड़ी से बचाएँ, असामाजिक मुनाफाखोरी, नकली उत्पादकों और अनुचित व्यापार व्यवहार से संरक्षित रखें और पारदर्शी नियंत्रण की प्रक्रियाओं को तहत करके मूल और मौलिकता को प्रोत्साहित करें |
- भोजन, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण सम्बंधित ऐसे नियम और क़ायदे कानून बनाएँ जो कि समझने में एवं लागू करने में आसान हों और जिनका यथायोग्य पालन हो सके |
- खेती और खाद्य पदार्थ के उत्पादन में लगे अनियमित कामगारों एवं बाल श्रमिकों को मुक्त करने के लिए प्रयत्नशील विरोध करते रहें |
- खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करने वाले अपराधों की व्यावसायिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक उच्चतम राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण करें और यह सुनिश्चित करें कि बेकायदेशीर कृतियों से मुकाबला करके लड़नेवाली संस्थाओं में सहयोग हो |
- स्थायी खाद्य प्रणालियों के विकास के लिए ऐसी सार्वजनिक नीतियां निर्देशित करें जिनमें अच्छा एवं संगत व्यवहार हो जो स्थानीय जरूरतों की सहायता और विकास करें और जो सिर्फ आपातकालीन न हों |
- ऐसी वैश्विक संधियों को बढ़ावा दें जो संवहनीयता से प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों , दोनों को सम्मिलित करके सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के उपयोग सम्बंधित शहरी और ग्रामीण खाद्य रणनीतियों बनाएं |
- अनुसंधान के प्रति समर्पित संसाधनों एवं उनके शोध के परिणाम, प्रशिक्षण और संचार के हस्तांतरण में वृद्धि लाएँ |
- स्कूलों में पोषण शिक्षा, भौतिक पर्यावरणीय ज्ञान के कार्यक्रमों को मजबूत करें तथा ठेठ और स्थानीय उत्पादों की विभिन्न भोजन संस्कृतियों का आदान-प्रदान बढ़ाएँ |
- स्वस्थ आहार और स्थायी भोजन को बढ़ावा देने के लिए और अन्न असंतुलन को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों के उपायों और नीतियों का विकास करें

जिनमे विशेष रूप से बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं, शिशुओं, बच्चों और बीमार लोगों के पोषण, उचित जलयोजन और स्वच्छता की जरूरतों को विशेष प्राथमिकता दी जाये।

- छोटे उत्पादकों और वंचित सामाजिक समूहों के लिए भोजन, भूमि, ऋण, प्रशिक्षण, ऊर्जा और प्रौद्योग की समता को विशेष रूप से बढ़ावा दें।

- वसूली और अधिशेष खाद्य का निःशुल्क वितरण करनेवाले प्रतिभागियों के समन्वय द्वारा भी जनसंख्या के कमजोर वर्गों के पक्ष में समर्थन के उपकरण बनाएं।

- सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाएँ जो खाद्य व जल निर्माण कार्यों से जुड़ी हैं उन्हें प्रोत्साहित करें। उनके माध्यम से अधिक प्रभावी और कुशल उत्पादन प्रणाली के पक्ष में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्यसूची में खाद्य एवं जल क्षति की समस्या को शामिल करें।

- स्थानीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर जैव विविधता, उन संकेतक परिभाषाओं की सहायता से बढ़ाएं जो जैविक एवं आर्थिक मूल्य दें।

- ऊर्जा, जल, वायु, और खाद्य के मौलिक संबंधों पर व्यापक, गतिशील और विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करके विचार करें ताकि रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में इन संसाधनों का प्रबंधन किया जा सके और लंबी अवधि के लिए जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में सक्षम हो सकें।

चूंकि हमें विश्वास है कि भूख से मुक्त विश्व संभव है जो की मानवीय गरिमा की वास्तविकता है, यूरोपीय विकास के वर्ष में और एक्सपो मिलानो 2015 के अवसर पर, हम इस मिलान चार्टर में वर्णित सिद्धांतों और नीतियों का अनुपालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये सिद्धांत एवं नीतियाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राज्यों द्वारा विस्तृत 2030 तक भूख की समस्या का हल करने की प्रस्तावना की रणनीति के उद्देश के अनुरूप हैं और हम उसका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस मिलान चार्टर पर हस्ताक्षर कर हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा पदोन्नत संवहनीय विकास के लक्ष्यों का वास्तविक रूप से समर्थन करने की घोषणा करते हैं।

भविष्य की संवहनीयता और समता हमारी ज़िम्मेदारी भी है।

हस्ताक्षर